संख्या: 17/2022/ बी-1- 574 /दस-2022-16/94

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,

अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक: 29 जुलाई, 2022**

विषय: सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषागारों को बजट आवंटन भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-1-2735/दस-2011-16/94, दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनाँक 26 फरवरी, 2013 के प्रस्तर-2(7) में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है -

"बजट आवंटन की हार्ड कापी प्राप्त होने के उपरान्त कोषागारों द्वारा हार्ड कापी एवं NICNET से प्राप्त सॉफ्ट कापी का मिलान किया जायेगा तथा सही पाये जाने की स्थिति में कोषाधिकारी द्वारा अधिकृत करने पर बजट आवंटन स्वतः ही कोषागार के कम्प्यूटर में लोड हो जायेगा एवं सुपर यूज़र द्वारा पूर्व में किये गये किसी आबंटन को (यदि कोई है) अपडेट कर देगा। आवंटित बजट के पुनर्ग्रहण के प्रकरणों में जहाँ पूर्व आवंटित बजट में से कोई धनराशि कम (-) की जानी है तो ऐसे आवंटन सीधे कोषागार के कम्प्यूटर में सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से लोड होकर बजट आवंटन को कम कर देगा एवं कोषाधिकारी स्तर पर अथराईजेशन (Authorization) की आवश्यकता नहीं होगी।"

2- इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कई विभागों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि बजट आवंटन की हार्ड कापी कोषागारों में समय से प्राप्त न होने के कारण कोषागारों के कम्प्यूटर में आवंटन को लोड/अपडेट किये जाने में विलम्ब होता है, जिसके कारण बिल पारण समय से नहीं हो पाता है।

3- उक्त के दृष्टिगत विभागों में तैनात बजट आवंटन का कार्य करने वाले सुपर यूज़र द्वारा कम्प्यूटर जनित बजट आवंटन आदेश को डिजिटली हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। उक्त व्यवस्था के लागू होने पर बजट आवंटन आदेश की सॉफ्ट कापी कोषागार एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन लाईन उपलब्ध हो सकेगी तथा हार्ड कापी की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 एवं 26 फरवरी, 2013 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर-3 में वर्णित व्यवस्था के लागू होने तक, कोषागारों की हार्ड कापी समय से प्राप्त न होने की दशा में, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बजट एलाटमेन्ट सिस्टम से जनित बजट आवंटन की अपनी प्रतिलिपि को सत्यापित कर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कोषागार द्वारा अपने कम्प्यूटर में बजट आवंटन को उक्त सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर लोड / अपडेट किया जा सकेगा।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 17/2022/ बी-1- 574 (1)/दस-2022-16/94, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, विभागों / कार्यालयों में कार्यरत् वित्त एवं लेखा सेवा के समस्त अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या: 17/2022/ बी-1- 574 (2) /दस-2022-16/94, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, न्यू हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।